

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी: अमन मलिक)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 130A/2017

संस्थित दिनांक 01-07-17

फाईलिंग नंबर-576 /2017

1. ताराचंद व० श्री नंदू उम्र-32 वर्ष,
2. संजू व० श्री नंदू उम्र-26 वर्ष
दोनों निवासी-सीताकामथ तहसील घोड़ाडोंगरी,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....आवेदकगण / वादीगण ।

विरुद्ध

1. रामनाथ व० जुगरू उम्र 70 वर्ष,
2. बाबूलाल व० जुगरू उम्र 74 वर्ष
3. प्रदीप व० बाबूलाल उम्र 30 वर्ष,
4. पंडेरी व० बाबूलाल उम्र 32 वर्ष
5. देवीचरण व० रामनाथ उम्र 34 वर्ष
6. सेवाराम व० रामनाथ उम्र 37 वर्ष
सभी निवासी-सीताकामथ तहसील
घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
7. अमरेश व० दामोदर उम्र 22 वर्ष
8. खेमचंद व० घनश्याम उम्र 32 वर्ष
9. प्रभूदयाल व० घनश्याम उम्र 36 वर्ष
10. पुरुषोत्तम व० घनश्याम उम्र 40 वर्ष
सभी निवासी छूरी तहसील घोड़ाडोंगरी,
जिला बैतूल (म.प्र.)
11. शशिकला पति इंद्रदेव उम्र 40 वर्ष
12. श्रीमती रानी पति प्रदीप उम्र 35 वर्ष
13. श्रीमती शकुन पति सेवाराम उम्र 45 वर्ष
14. श्रीमती राधा पति देवीचरण उम्र 32 वर्ष
सभी निवासी सीताकामथ तहसील घोड़ाडोंगरी,
जिला बैतूल (म.प्र.)
15. म.प्र. शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल,

.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण।

आवेदकगण/वादीगण द्वारा श्री सुखदेव ठाकरे अधिवक्ता।
अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 एवं 5 से 14 द्वारा श्री महेश रावत
अधिवक्ता।
अनावेदक/प्रतिवादी क्र. 4 एवं 15 पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक 25-09-2017 को पारित किया गया।)

1— इस आदेश द्वारा वादीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.—1) का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदकगण/वादीगण ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नंबर—67/2 रकबा 2.488 हे० मौजा केरिया तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल में स्थित है। आवेदकगण उपरोक्त भूमि पर वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अनावेदकगण की भूमि खसरा नंबर—67/1 थी जिसे अनावेदकगण द्वारा समय—समय पर विक्रय कर दी है अब आवेदकगण की स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 67/2 के भू-भाग में लगभग एक एकड़ भूमि पर अवैधानिक रूप से ट्रैक्टर से जोत बखर कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी शिकायत भी सारणी पुलिस को की गई है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण ने वर्षाकाल की फसल बोने के लिए जोत बखर कर फसल बोने के लिए तैयार कर लिया है जिसमें अनावेदकगण जोर जबरदस्ती कर फसल बोने का शीघ्र ही प्रयास करने को तैयार है। यह की आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुदृढ़ होकर सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है तथा यदि आवेदकगण को प्रकरण के निराकरण तक खसरा नंबर 67/2 रकबा 2.488 भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो अनावेदकगण शीघ्र ही आवेदकगण की उपरोक्त भूमि से बेदखल कर देंगे जिसके कारण आवेदकगण को अत्यधिक अपूर्णीय क्षति होगी। अतः आवेदकगण के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाने का निवेदन किया है कि खसरा नंबर 67/2 रकबा 2.488 हे० मौजा केरिया तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल की भूमि पर वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और न ही कोई अवरोध उत्पन्न करें।

3— अनावेदकगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है कि खसरा नंबर 67/2 पर राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण का नाम

दर्ज है परंतु वास्तविक स्वामी आवेदकगण नहीं है बल्कि गेंदा ने बहुत चालाकी से राजस्व अधिकारियों तथा पटवारी से सांठ-गांठ कर यह भूमि अपने नाम दर्ज करा ली तथा इसी भूमि को बाद में गेंदा ने ताराचंद एवं संजू अर्थात् आवेदक को विक्रय कर दी जिसकी जानकारी 4-5 माह पहले ही अनावेदकगण को राजस्व के पुराने दस्तावेज देखने पर ज्ञात हुई है। गेंदा द्वारा कपट पूर्वक तरीके से अपने को जुगरू व० मुन्ना का भाई बताकर अपना नाम दर्ज कर शीघ्र ही इस संपत्ति पर कोई खतरा ना आये इस बात से डरकर यह जमीन आवेदकगण को बेच दी है। खसरा नंबर-67/2 में अनावेदकगण की 6 एकड़ 15 डिसमिल जमीन रही है जिसमें से 5 एकड़ भूमि का विक्रय हो चुका है और अभी अनावेदकगण की खसरा नंबर 62/2 रकबा 0.466 हे० की भूमि मौके पर मौजूद है इसी भूमि पर आवेदकगण ने जबरन बोनी कर दी थी जिसे मोड़कर अनावेदकगण ने मक्का बो दी है। अनावेदकगण ने आवेदकगण के नाम की भूमि खसरा नंबर 67/2 पर किसी प्रकार का दखल नहीं दिया है। आवेदकगण का दावा झूठा है तथा कपट पर आधारित है। अतः आवेदकगण का आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है
:-

1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में है।
2. क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदकगण के पक्ष में है।
3. क्या सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है।

—:प्रथम दृष्टया प्रकरण:—

5. अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदकगण के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6. आवेदकगण द्वारा यह प्रकट किया गया है कि मौजा केरिया तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 67/2 रकबा 2.488 हेक्टेयर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। इस संबंध में आवेदकगण द्वारा खसरा वर्ष 1998-99 एवं 2012-17 का पेश किया है जिसके अनुसार वह उक्त भूमि के भू-स्वामी एवं कब्जेदार होना दर्शित है। साथ ही उनके द्वारा उपरोक्त भूमि की ऋणपुस्तिका पेश की गयी है।

7. जहाँ तक अनावेदकगण द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदक

क्रमांक 1 व 2 के पिता जुगरू थे एवं वर्ष 1942 में स्वयं अकेले के नाम पर खसरा नंबर 67 रकबा 12.30 एकड़ जमीन विष्णु गोंड से खरीदी थी। जुगरू पतिराम का अकेला पुत्र था जो छुरी का रहने वाला था। छुरी की जायदाद बेचकर वह सीताकामथ आ गया तथा केरिया में खसरा नंबर 67 की जमीन खरीदी थी परंतु बाद में अचानक गेंदा का नाम राजस्व रिकार्ड में आ गया जबकि गेंदा ना तो जुगरू का भाई है और ना ही पतिराम का लड़का है। जुगरू के पिता पतिराम की मृत्यु हो गयी थी तो जुगरू की माँ ने मुन्ना के घर देकर आ गयी थी तब से जुगरू वल्द मुन्ना नाम हो गया है एवं गेंदा मुन्ना का लड़का है। जुगरू के पिता का नाम मुन्ना केवल पालक पिता की हैसियत से है एवं खसरा नंबर 67 का वास्तविक स्वामी जुगरू ही है और गेंदा ने चालाकी से नाम दर्ज कराया है तथा जमीन आवेदकगण को बेच दी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जुगरू के पिता मुन्ना था अथवा पतिराम एवं भूमि किस व्यक्ति को प्राप्त होनी थी, यह साक्ष्य का विषय है जिसका निराकरण गुण-दोषों पर विचार उपरांत ही किया जा सकता है।

8. आवेदकगण द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदकगण उनकी उपरोक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से ट्रैक्टर से जोत बखरकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाना सारनी में की गयी थी। इस संबंध में थाना सारनी में की गयी शिकायत दिनांक-24.06.17 पेश की है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में दर्शित होता है। अतः आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद माना जा सकता है।

—अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत एवं सुविधा का संतुलन:—

10. जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, पूर्ववत् विवेचना में प्रथम दृष्ट्या अनावेदक क्रमांक 1 से 14 द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर अवैधानिक हस्तक्षेप किया जाना समक्ष आया है। उपरोक्त परिस्थिति में वर्तमान में आवेदक उनके स्वामित्व की भूमि के आधिपत्य एवं उसके उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आवेदक को अनावेदक क्रमांक 1 से 14 की अपेक्षा अधिक असुविधा हो रही है एवं उसके स्वामित्व की भूमि के आधिपत्य, उपयोग व उपभोग से वंचित होने से उन्हें ऐसी क्षति हो रही है जिसकी भरपाई धन के रूप में संभव नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत भी आवेदकगण के पक्ष में है।

11. फलतः उपरोक्त विवेचन से यह समक्ष आता है कि आवेदकगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन

पत्र अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1) स्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार आदेशित किया जाता है कि:-

01- अनावेदक क्रमांक 1 से 14 मौजा केरिया तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नंबर 67/2 रकबा 2.488 हेक्टेयर पर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अथवा अग्रिम आदेश तक स्वयं, रिश्तेदार व किसी अन्य के माध्यम से किसी प्रकार का अवैधानिक हस्तक्षेप एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे।

02- आवेदन का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

मेरे द्वारा आज दिनांक को
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।
किया गया।

(अमन मलिक)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल म०प्र०